



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.  
निकरानी-5622/2018/अशोकनगर/शू.श.

श्री. श्री. राजस्व मण्डल ग्वालियर  
द्वारा आज दि. 4.9.18  
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु  
दिनांक 26.9.18 निम्नतः।

क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल, ग्वालियर/18

पूरनसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति  
रघुवंशी निवासी घटावदा  
तहसील नईसराय जिला  
अशोकनगर म.प्र.

-निगरानीकर्ता

वनाम  
म.प्र. शासन

श्री. श्री. राजस्व मण्डल ग्वालियर  
द्वारा आज दि. 4.9.18  
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु  
दिनांक 26.9.18 निम्नतः।

### निगरानी

निगरानी म.प्र. भूरा.सं. 1959 की धारा 50 के तहत। न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय अशोकनगर म.प्र. के प्रकरण क्र. 31/स्वमेव निगरानी/1993-94 आदेश दिनांक 24/01/1994 के विरुद्ध।

माननीय महोदय,

सेवा में सविनय निगरानी सादर प्रस्तुत है-

1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण क्र. 31/स्वमेव निगरानी/1993-94 आदेश दिनांक 24/01/1994 विधि व नियम के विपरीत होने से व नियमानुसार आदेश पारित नहीं किया गया है। जो निरस्ती योग्य है।
2. यह कि अपर कलेक्टर महोदय को स्वमेव निगरानी में लिये जाने की अधिकारिता नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय ने कब्जे के आधार पर व्यवस्थापन आदेशित किया है, इस कारण तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेने का अधिकार अपर कलेक्टर को नहीं है। राजस्व पुस्तक परिपत्र चार, इस कारण तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेने का अधिकार अपर कलेक्टर को नहीं है। राजस्व पुस्तक परिपत्र चार (3) के कण्डिका 30 (2) के अधीन स्वमेव निगरानी में सुनन के अधिकार संभागीय आयुक्त को है। तथा अतिक्रमण व्यवस्थापन आदेश के विरुद्ध भी राजस्व विभाग के आदेश क्र. 2853/सात/2-ए/85 दिनांक

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-5622/2018/अशोकनगर/भू.रा.

पूरन सिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमात्रकों के हस्ताक्षर
6-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 31/स्वमेव निगरानी/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 24-01-1994 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 05-09-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

3

(जे०के० जैन)  
सदस्य